बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

दिनांक..14-4-06.....

पत्रांक–25

बिहार राज्य में राजस्व संवर्ग एवं विकास संवर्ग के गठन का प्रस्ताव :–

आजादी के पूर्व एवं बाद के 25 वर्षो तक बिहार प्रशासनिक सेवा की विशिष्टता एवं राज्य के अन्य सेवाओं पर नियंत्रण रहा । भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो स्थिति केन्द्र में है वही स्थिति बिहार में बिहार प्रशासनिक सेवा की थी, परन्तु हाल के कुछ दशकों में इस सेवा को अन्य सेवाओं के समतुल्य रखा जाने लगा जिसका राज्य की विधि व्यवस्था, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर कुप्रभाव पड़ा है । बिहार प्रशासनिक सेवा का कुल स्वीकृत बल 2282 है ।

बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों की संख्या –	1464
अनुमंडल पदाधिकारी / अवर सचिव एवं समकक्ष पदों की सं0	386
अपर जिला दण्डाधिकारी के समकक्ष पदों की संख्या–	366
संयुक्त सचिव / उप विकास आयुक्त एवं समकक्ष पदों की संख्या–	62
निदेशक स्तर के पदों की संख्या–	04
	2282

प्रखंडों की संख्या–	534
अंचलों की संख्या–	516
	कुल–1050

इस प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल पदाधिकारी के लिए 1050 बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त चकबंदी पदाधिकारी एवं सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के लिए बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों की आवश्यकता कम से कम 200 की होगी ।

प्रखंड एवं अंचलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के रूप में कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी की संख्या 570 है और आवश्यकता 1050 की है । इस प्रकार 480 पद प्रखंड/ अंचलाधिकारी के रिक्त हैं । अगर अन्य बेसिक ग्रेड के पदों को मिला दिया जाय तो 894 पद रिक्त हैं ।

बिहार प्रशासनिक सेवा के 2282 स्वीकृत पदों में से कार्यरत पदाधिकारियों की संख्या आज की तिथि में 1400 के करीब है और इस प्रकार 882 पद बिहार प्रशासनिक सेवा का रिक्त है । इन रिक्त पदों को वर्ग–3 के कर्मचारियों से प्रोन्नति के आधार पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती से भरा जाना है ।

2. वर्ग–3 के कर्मचारियों में 10 वर्षो की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं । विदित है कि कुल स्वीकृत बल का 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया है । इन पदों पर वर्तमान में सिपाही/ चालक/ नर्स एवं पंचायत सेवक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होकर आ रहे हैं जिससे राज्य के प्रशासनिक स्तर में भारी गिरावट हुआ है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

3. संघ का प्रस्ताव है कि राज्य के राजस्व एवं विकास संवर्ग का गठन कर इन पदाधिकारियों को अंचलाधिकारी/ सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी/ चकबंदी पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी इत्यादि पदों पर पदस्थापित किये जाये जिनका वेतनमान 6500–10500/–रू0 का हो और इन्हें 10 वर्षो के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाय ।

4. वर्ग–3 के कर्मचारियों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राजस्व संवर्ग/ विकास संवर्ग में प्रोन्नति दिये जायें । राजस्व एवं विकास संवर्ग के माध्यम से इन्हें पुनः सीमित परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी जा सकती है । यह प्रक्रिया अपनाने से बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के आधार पर जो भी पदाधिकारी आयेंगे वे काफी अनुभवी और हर दृष्टिकोण से सक्षम होंगे ।

5. दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा का कैडर स्ट्रेन्थ घट जाने से सीधी नियुक्ति कम संख्या में होगी, फलस्वरूप इस सेवा में सीधी नियुक्ति से आने वाले पदाधिकारी का स्तर काफी उच्च कोटि का होगा । इस संदर्भ में फिटमेंट कमिटि की कैडर स्ट्रेन्थ घटाने की अनुशंसा का जिक्र करना समीचीन प्रतीत होता है ।

6. चूँकि केन्द्र के लगभग सभी विकास / कल्याणकारी कार्य{मों का कार्यान्वयन राज्य प्रशासन के सबसे निचली इकाई :– प्रखंड/ अंचल से ही किया जाता है । अतः इस इकाई को सुदृढ़ करने हेतु विकास संवर्ग/ राजस्व संवर्ग का गठन अत्यावश्यक प्रतीत होता है । इन दोंनो संवर्गो के पदाधिकारियों की नियुक्ति अलग–अलग की जानी चाहिए । इन संवर्गो से बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल स्वीकृत पदों में से प्रोन्नति के आधार पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 25 प्रतिशत के बदले 33 प्रतिशत पद भरें जाये । शेष 67 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति किये जाय । तद्नुसार बिहार प्रशासनिक की नियमावली (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) में संशोधन किये जाय ।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजस्व संवर्ग के पदाधिकारी 10 वर्षो के बाद उप समाहर्त्ता के रूप में प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । विकास संवर्ग के पदाधिकारियों की भी प्रोन्नति की प्रक्रिया इन राज्यों में अलग है ।

प्रखंड एवं अंचल प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अपर अंचल पदाधिकारी के पद सृजित किये जाये जो अंचल निरीक्षक और कृषि सेवा के पदाधिकारियों से भरे जाये । प्रखंड एवं अंचलों को बिना सुदृढ़ किये कल्याणकारी कार्यक्रमों / विकास/ विधि व्यवस्था से संबंधित कार्यो का निष्पादन प्रभावकारी ढंग से किया जाना संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त प्रखंड एवं अंचलों के पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को शीध्र भरे जाने हेतु निर्णय लिये जाये जिससे कि प्रखंड एवं अंचल स्तर पर कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की कमी न हो और कल्याणकारी कार्य{मों का निष्पादन द्रुतगति से हो सके ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिलाने हेतु बिहार सरकार के "एक्स" कैडर एवं नन–कैडर पदों पर इन्हें पदस्थापित किया जाय ।

7. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को प्रशिक्षण के उपरान्त कार्यपालक जिला दण्डाधिकारी/ सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी इत्यादि के रूप में सर्वप्रथम पदस्थापित किया जाय । तदोपरान्त इन्हें – जिला कल्याण पदाधिकारी/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/ जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी/ जिला परिवहन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति द्वारा वरीयता के आधार पर पदस्थापित किये जाये । विदित हो कि बिहार आरक्षी सेवा सहित अन्य राज्य स्तरीय सेवा के पदाधिकारी अनुमंडल से अपनी सेवा प्रारम्भ करते है, उसी प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा अनुमंडल स्तर से शुरू किये जाय ।

8. प्रशिक्षण–इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण भी कार्य{मों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य की भॉति हर प्रोन्नति के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा/ राजस्व संवर्ग/ विकास संवर्ग के पदाधिकारियों को नियमित रूप से विकास कार्य{मों का प्रशिक्षण राज्य के अन्दर एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाना अति आवश्यक है । अभी तक बिहार में राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई कार्य–योजना तैयार नहीं किया गया है । जिससे हमारे पदाधिकारी प्रशिक्षण के अभाव में प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कठिनाई अनुभव करते है ।

14/4/2006

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

14/4/2006

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष